जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हल्दौर **दिनांक 10.10.2024**

थाना नहटौर क्षेत्रान्तर्गत गांगन नदी में मिले 02 शवो के संबंध में अपडेट प्रेस नोट -

अवगत कराना है कि दिनांक 09.10.2024 को वादिया पूनम पुत्री सोमपाल निवासी ग्राम भोक्कारेहडी थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि दिनांक 06.10.2024 को उसके पिता सोमपाल व मां बेबी को राजवीर नाम का व्यक्ति बैक्वट हॉल कस्बा हल्दौर से अपने साथ गाडी में लेकर गया था। इस संबंध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 288/24 धारा 140(1) बीएनएस बनाम राजवीर उपरोक्त पंजीकृत किया गया है।

दिनांक 09.10.2024 को थाना नहटौर क्षेत्रान्तर्गत गांगन नदी मे 02 शव मिले थे। पूनम उपरोक्त से जब शवों की शिनाख्त करायी गयी तो उसने दोनो शवो को देखकर उनकी पहचान अपनी मां बेबी व पिता सोमपाल के रुप में की। नहटौर पुलिस द्वारा दोनो शवो के पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण drowning आया है। हल्दौर में मृतकों के होने व राजवीर के विषय में वादिया से गहनता से पूछताछ की जा रही है तथा राजवीर उपरोक्त की तलाश की जा रही है।

यह भी अवगत कराना है कि मृतक सोमपाल उपरोक्त थाना नगीना से वांछित था तथा थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी था।

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर   दिनांकः- 10.10.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना नगीना पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा मानव तस्करी के 03 आरोपी अभियुक्तो को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 19.04.2022 को वादी ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा रात्रि के समय वादी के घर से उसकी 01 माह की पुत्री को उठा लिया गया। इस संबंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 129/2022 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 370 की वृद्धि की गई तथा प्रकाश में आये 03 अभियुक्तगण 1.जफर पुत्र हामिद निवासी शेख सराय थाना नगीना जनपद बिजनौर, 2.सुबोध कर्मगार पुत्र भोपाल कर्मगार व 3.खुशबू पत्नी सुबोध निवासीगण बुजुर्ग वाजेदपुर थाना सालमारी जनपद कटिहार बिहार के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 10.10.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, नगीना बिजनौर द्वारा उपरोक्त अभियोग में 03 अभियुक्तगण 1.जफर पुत्र हामिद निवासी शेख सराय, 2.सुबोध कर्मगार पुत्र भोपाल कर्मगार व 3.खुशबू पत्नी सुबोध निवासीगण बुजुर्ग वाजेदपुर थाना सालमारी जनपद कटिहार बिहार को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम पताः-

1- जफर पुत्र हामिद निवासी शेख सराय थाना नगीना जनपद बिजनौर।

2- सुबोध कर्मगार पुत्र भोपाल कर्मगार निवासी बुजुर्ग वाजेदपुर थाना सालमारी जनपद कटिहार बिहार।

3- खुशबू पत्नी सुबोध निवासी बुजुर्ग वाजेदपुर थाना सालमारी जनपद कटिहार बिहार।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना रेहड   **दिनांक – 10.10.2024**

थाना रेहड पुलिस ने मु0अ0सं0 118/24 धारा 76/78/351(2)/352 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.10.2024 को वादिनी ने थाना रेहड पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अनिल उर्फ विक्की पुत्र चन्द्रपाल सिंह नि0 ग्राम फतेहपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर, 2.विपिन सैनी पुत्र मुन्नू उर्फ मुन्ना 3. हरजोत पुत्र गुरमीत निवासीगण ग्राम छजमलवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की पुत्री का पीछा किया गया व वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी गई। तहरीर के आधार पर थाना रेहड पर मु0अ0सं0 118/2024 धारा 76/78/351(2)/352 बीएऩएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना रेहड पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.अनिल उर्फ विक्की पुत्र चन्द्रपाल सिंह नि0 ग्राम फतेहपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर, 2.विपिन सैनी पुत्र मुन्नू उर्फ मुन्ना निवासी ग्राम छजमलवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.अनिल उर्फ विक्की पुत्र चन्द्रपाल सिंह नि0 ग्राम फतेहपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर।
2.विपिन सैनी पुत्र मुन्नू उर्फ मुन्ना निवासी ग्राम छजमलवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री फिरोज खान थाना रेहड जनपद बिजनौर।
2.हे0का0 217 रामप्रकाश थाना रेहड जनपद बिजनौर।
3.का0 501 रजत थाना रेहड जनपद बिजनौर।
4.का0 509 रविन्द्र राणा थाना रेहड जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना को0 देहात   दिनांक – 10.10.2024

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 223/24 धारा 296/74/78/115(2)/351(2)/351(3) बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.10.2024 को वादी ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.जुबैर पुत्र इसरार अहमद, 2.शाकिब व 3.फराहन निवासीगण ग्राम उमरी कलां थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री का पीछा कर अश्लील कमेन्ट किये गए एवं छेडछाड की गई तथा मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई । तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 223/24 धारा 296/74/78/115(2)/351(2)/351(3) बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त जुबैर पुत्र इसरार अहमद निवासी ग्राम उमरी कलां थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

जुबैर पुत्र इसरार अहमद निवासी ग्राम उमरी कलां थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री रवि कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।

2.का0 2458 रूपेन्द्र थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।

3.1912 कपिल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर **दिनांक 10.10.2024**

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 351/2024 धारा 366/376/313/323 भादवि से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.09.2024 को वादिनी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 25.05.2024 को अभियुक्तगण 1.विकास पुत्र पतराम निवासी ग्राम मौहम्मदपुर देवमल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर 2.अरूण व 3.शेखर द्वारा वादिनी के साथ मारपीट करते हुए गलत कार्य किया गया तथा गर्भवती होने पर वादिनी का गर्भपात करा दिया गया। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 351/2024 धारा 366/376/313/323 भादवि बनाम विकास उपरोक्त आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना नूरपुर पुलिस ने उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त विकास पुत्र पतराम सिंह निवासी ग्राम मौहम्मदपुर देवमल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विकास पुत्र पतराम सिंह निवासी ग्राम मौहम्मदपुर देवमल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.निरी0 श्री नरेशपाल सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2.का0 619 सोनू कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना   दिनांक – 10.10.2024

थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0सं0 93/2024 धारा 147/323/307/354/452/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.03.2024 को वादी ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि दिनांक 25.03.2024 को अभियुक्तगण 1.विकास पुत्र सुशील निवासी ग्राम मलकपुर सहसू थाना नगीना जनपद बिजनौर व 2.राजकुमार पुत्र अशोक निवासी जटपुरा भोन्टा थाना मण्डावली जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री के साथ छेडछाड की गयी तथा रात के समय करीब 10.30 बजे अभियुक्त विकास एवं राजकुमार ने अपने 05 – 06 अज्ञात साथियों के साथ मिलकर वादी के घर में घुसकर वादी के साथ जान से मारने की नियत से लाठी डन्डे व धारदार हथियार से मारपीट की गयी तथा वादी को बचाने आये वादी के भतीजे पुनीत पर हमला किया गया। तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 93/2024 धारा 147/323/307/354/452 भादवि बनाम विकास आदि उपरोक्त कुल 02 नफर व अज्ञात पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवचेनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 506 भादवि की वृद्धि की गई तथा अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र भूरे निवासी ग्राम जटपुरा बोन्डा थाना मण्डावली जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाही –

थाना नगीना पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र भूरे निवासी ग्राम जटपुरा बोन्डा थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

नोट- थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित राजकुमार पुत्र अशोक को पूर्व मे ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है तथा विकास उपरोक्त द्वारा दिनांक 25.07.2024 में माननीय न्यायालय मे आत्मसमर्पण किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राहुल कुमार पुत्र भूरे निवासी ग्राम जटपुरा बोन्डा थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री सुरेन्द्रपाल सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर।
2.का0 1571 सुरजीत सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक 10.10.2024**

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 379/2024 धारा 69/351(2)/352 बी0एन0एस0 व धारा 67 आई0टी0 एक्ट से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.10.2024 को वादिनी द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त फैसल पुत्र फरीद निवासी कस्बा साहनपुर नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की पुत्री को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत कार्य किया गया तथा इसका विरोध करने पर फैसल के परिजनों के द्वारा वादिनी के साथ गाली-गलौच की गयी। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 379/2024 धारा 69/351(2)/352 बी0एन0एस0 व धारा 67 आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना किरतपुर पुलिस ने उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त फैसल पुत्र फरीद निवासी टंकी के पास कस्बा साहनपुर नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फैसल पुत्र फरीद निवासी कस्बा साहनपुर नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

2- का0 1996 अंकुर राणा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना चांदपुर **दिनांक-10.10.2024**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को एक अवैध छूरी सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.10.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त सुनील पुत्र छतरपाल नि0 ग्राम बसन्तपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध छूरी सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 541/2024 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

सुनील पुत्र छतरपाल नि0 ग्राम बसन्तपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 यशवीर सिंह थाना चांदपुर बिजनौर
2.का0 1877 अंकित कुमार थाना चांदपुर बिजनौर
3.का0 2434 लोकेश कुमार थाना चांदपुर बिजनौर